न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2015 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 01.09.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00056

1–भैरूलाल पिता घासीराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–राजमल पिता रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
3–बजरंगलाल पिता रतनलाल जाति महाजन, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
4–कैलाश पिता भगवतीलाल त्रिपाठी जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
5–हीरालाल पिता सोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
6–कमलेश पिता बालकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
7–औंकारलाल पिता नारायणलाल जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
8–भैरूलाल पिता गोटू जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
9–जमनालाल पिता गेहरीलाल जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
10–भैरूलाल पिता किशना जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
11–किशनलाल पिता गोकल जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
12–शांतिनाथ पिता उदयनाथ जाति नाथ, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
13–भंवरलाल पिता कालू जाति प्रजापत, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
14–हजारी पिता चूना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 38/2015 (नि.पं.)
भैरूलाल पिता घासीराम जाट निवासी नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम मोहनी बाई पत्नि बनवारीलाल शर्मा निवासी नंगावली, तहसील डूंगला वगैरा

15-रतनलाल पिता कालू जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
16-मदन पिता बालूराम जाति रेगर, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
17-लालचन्द पिता लक्ष्मीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
18-रतन पिता गोकल जाति भील, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
19-प्यारा पिता लालू जाति भील, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
20-रमेश पिता खुमाण जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
21-प्रेमशंकर पिता मांगीलाल त्रिपाठी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

-निगराकारगण

बनाम

1-मोहनी बाई पत्नि बनवारीलाल शर्मा, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2-ग्राम पंचायत नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

-गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 50 दिनांक 21.08.2014 द्वारा ग्राम पंचायत नंगावली, पंचायत समिति डूंगला

प्रकरण संख्या 38/2015 (नि.पं.)
भैरूलाल पिता घासीराम जाट निवासी नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम मोहनी बाई पत्नि बनवारीलाल शर्मा निवासी नंगावली, तहसील डूंगला वगैरा

उपस्थिति : 1–श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता निगराकारगण
2–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1
3–श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत नंगावली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 50 दिनांक 21.08.2014 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नंगावली के तत्कालीन सरपंच ने अपने मिलने वाले व्यक्ति जो कि गैर निगराकार संख्या 1 है को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से गौशाला हेतु आरक्षित रखवाई गई भूमि पर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टा निः शुल्क जारी किया गया जबकि गैर निगराकार संख्या 1 निः शुल्क पट्टा आवंटन हेतु पात्र नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नंगावली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 21.08.2014 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने तथा गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। ग्राम पंचायत, नंगावली से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, नंगावली के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से निः शुल्क पट्टे जारी किये गये हैं जबकि उक्त भूमि गिरधर गोपाल गौशाला नंगावली के द्वारा उपयोग–उपभोग ली जा रही है और इस हेतु ग्राम पंचायत नंगावली में वर्ष 2010 में आरक्षित रखाने हेतु आवेदन दे दिया। मुख्य रूप से यह भूमि राजकीय हित की

प्रकरण संख्या 38/2015 (नि.पं.)
भैरूलाल पिता घासीराम जाट निवासी नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम मोहनी बाई पत्नि बनवारीलाल शर्मा निवासी नंगावली, तहसील डूंगला वगैरा

होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 जो मंगलवाड़ चौराहा को छोड़ते हुए नया राजमार्ग प्रस्तावित किया उसके पास है। उक्त बिन्दु पर सरपंच ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने चहिते मिलने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाने एवं राज्य हित को हानि पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं की गई ना ही मिसल कायम की गई, स्थल निरीक्षण नहीं किया और ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया जारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से की गई है जिससे पट्टा निरस्त योग्य है। गैर निगराकार के मंगलवाड़ चौराहा पर इंजीनियरिंग वेल्डिंग का व्यवसाय होकर राजनैतिक प्रभाव रखते हैं जिससे दिनांक 24.08.2015 को मौके पर पत्थर डालकर नींव खोदने पर आमदा हुए एवं बताया कि हमने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त कर लिया है जिस पर उक्त पट्टे की जानकारी हुई। अतः उक्त पट्टा विधि-विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि निगराकारगण सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि की सुरक्षार्थ हित निहित रखते हैं पूर्णतया गलत होकर मानने योग्य नहीं है क्योंकि राजकीय भूमि की सुरक्षा हेतु तहसीलदार एवं आबादी भूमि की सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत अस्तित्व में है जो अपने कर्तव्यों का पूर्णरूप से पालन कर रहे हैं अतः ऐसी स्थिति में निगराकारगण जो मात्र ग्रामवासियान है को प्रभावी पक्षकार नहीं माना जा सकता जिससे प्रथम दृष्टया ही प्रभावित पक्षकार नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है। विवादित पट्टे वाली भूमि आबादी भूमि होकर आबादी से लगी होने से ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है कि वह पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार निः शुल्क एवं रियायती दर पर पट्टे जारी करे उन्ही कर्तव्यों के तहत तत्कालीन सरपंच के द्वारा विपक्षीया/गैर निगराकार संख्या 1 को पात्र होने से निः शुल्क पट्टा जारी किया गया है तथा अन्य जो लोग भी पात्र थे उन्हें ही पट्टे जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत नंगावली द्वारा पट्टे जारी करने से पूर्व विधिवत् प्रस्ताव पारित किया एवं प्लान तैयार कर उसी प्लान के तहत गैर निगराकार संख्या 1 एवं अन्य पात्र व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे जारी किये गये हैं। विवादित पट्टे वाली भूमि न तो गौशाला नंगावली द्वारा उपयोग ली जा रही है और ना ही ऐसी कोई गौशाला का गठन किया गया है और ना ही गौशाला हेतु उक्त भूमि का आवंटन हुआ है। विवादित पट्टे वाले भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 का उसके पति के जीवित रहते से कब्जा होने से एवं गैर निगराकार संख्या 1 विधवा होकर गरीब परिवार से होने से निः शुल्क आवंटन की पात्र होने से उसे निः शुल्क पट्टा जारी किया गया है जो पूर्णतया विधि-सम्मत् है। निगराकारगण ने गैर निगराकार संख्या 1 को नाजायज परेशान करने व जलील करने की नियत से

प्रकरण संख्या 38/2015 (नि.पं.)
भैरूलाल पिता घासीराम जाट निवासी नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम मोहनी बाई पत्नि बनवारीलाल शर्मा निवासी नंगावली, तहसील डूंगला वगैरा

निगरानी में मनगढ़न्त तथ्य अंकित कर यह निगरानी पेश की है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 का मुख्य कथन यह रहा कि निगराकारगण द्वारा ग्राम पंचायत में कभी भी गिरधर गोपाल गौशाला समिति द्वारा गौशाला हेतु आराजी नम्बर 1843 को आरक्षित नहीं करवाया तथा ना ही इस हेतु सन् 2010 में कोई आवेदन ग्राम पंचायत में पेश किया है और ना ही वर्णित आराजीयात पर उनका उपयोग-उपभोग है। ग्राम पंचायत नंगावली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को पंचायत राज नियमों की पालना करते हुए ही नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है पंचायत के कोरम में विधिवत प्रस्ताव पारित किया, कोरम बैठक में वार्ड पंच भी उपस्थित थे जिन्होनें प्रस्ताव अनुमोदन किया एवं जारीशुदा पट्टे का इन्द्राज भी नियमानुसार ग्राम पंचायत कोरम रजिस्टर में किया गया है तथा पंचायत नंगावली द्वारा दिनांक 24.07.2014 को जरिये आम सूचना क्रमांक (ग्रा.पं.नं.)पंचायत/ 2014-15/309 से उक्त आराजी नम्बर 2903/1843 कुल क्षेत्रफल 92416 वर्गफीट में से ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थाई/अस्थाई निवासरत पात्र एस. सी., एस. टी., बी. पी. एल., घुमन्तु परिवार, कारीगर एवं आवासविहीन परिवारों को निः शुल्क/ रियायती दर पर तथा विक्रय विलेख एवं निलामी द्वारा भूखण्ड देना प्रस्तावित किया गया। यह सूचना ग्राम पंचायत नंगावली की कोरम बैठक दिनांक 21.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 1 की अनुपालना में जारी की गई। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आम सूचना के बाद भी निगराकारगण अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आक्षेप या आपत्ति पेश नहीं की जिसके पश्चात् आराजी नम्बर 2903/1843 पर पंचायत द्वारा सभी भूखण्ड आवंटन पट्टे सहित नियमानुसार जारी किये गये हैं। अतः निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकारगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली द्वारा उक्त विवादित पट्टा गौशाला हेतु आरक्षित भूमि पर जारी करना बताया है किन्तु निगराकारगण ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टा गौशाला हेतु आरक्षित भूमि पर जारी करने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

जहां तक अधिवक्ता निगराकारगण ने पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदन नहीं लेने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं कर पट्टा जारी करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार, विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व गैर

प्रकरण संख्या 38/2015 (नि.पं.)
भैरूलाल पिता घासीराम जाट निवासी नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम मोहनी बाई पत्नि बनवारीलाल शर्मा निवासी नंगावली, तहसील डूंगला वगैरा

निगराकार संख्या 1 से नियमानुसार आवेदन प्राप्त किया है जिस पर विधिवत् मिसल कायम कर उक्त पट्टे की भूमि का नक्शा बनाया गया है एवं आबादी भूमि के निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण भी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नियमानुसार नोटिस/सूचना पत्र भी जारी किया गया है तथा आम सूचना का समचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन भी कराया है।

निगराकारगण ने वर्ष 2010 में गौशाला हेतु उक्त आराजीयात आरक्षित कराने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत, नंगावली में प्रस्तुत करने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा 2010 में पेश किए गए आवेदन की छायाप्रति आदि प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। निगराकारगण द्वारा रजिस्ट्रार संस्थाऐ चित्तौड़गढ़ से जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 86 वर्ष 2015-16 जारी दिनांक 16.11.2015 की छायाप्रति पेश की है जिसमें श्री गिरधर गोपाल गौशाला समिति, नंगावली, तहसील डूंगला का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया जो कि वर्ष 2015-16 में दिनांक 16.11.2015 को किया गया है जबकि विवादित पट्टा सन् 2014 में दिनांक 21.08.2014 को संस्था के रजिस्ट्रीकरण से लगभग एक वर्ष 03 माह पूर्व ही जारी किया जा चुका है।

निगराकारगण द्वारा अपनी निगरानी में यह तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार संख्या 1 निः शुल्क पट्टा आवंटन हेतु पात्र नहीं है किन्तु अपने कथन की पुष्टि मे ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके उक्त कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही अधिवक्ता निगराकारगण यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को गलत तरीके से अथवा अवैध पट्टा जारी किया गया हो तथा अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 21.08.2014 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)